(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 21 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रामावतार उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री लटूरलाल माली निवासी मालियों के मन्दिर के पीछे अन्ता जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स गणेश किराना स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ
2. मैसर्स गणेश किराना स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ
3. श्री विष्णु खण्डेलवाल पुत्र पुरूषोत्तम खण्डेलवाल निवासी 3 बी 16 तलवंडी कोटा (मालिक) मैसर्स कोटा ट्रेडर्स 858 बालाजी नगर कोटा (राज.) 324010
4. मैसर्स कोटा ट्रेडर्स 858 बालाजी नगर कोटा (राज.) 324010
5. श्री रणवीर राठी पुत्र मनफूल सिंह निवासी डाबोदा खुर्द (49) झज्जर हरियाणा 124507 (मालिक) मैसर्स पीएसडी फूड प्रापर्टी नं. 147 पीकेटी–1, सेक्टर–1, डीएसआईआईडीसी बवाना इण्डस्ट्रीयल एरिया नोर्थ वेस्ट दिल्ली 110039
6. मैसर्स पीएसडी फूड प्रापर्टी नं. 147 पीकेटी–1, सेक्टर–1, डीएसआईआईडीसी बवाना इण्डस्ट्रीयल एरिया नोर्थ वेस्ट दिल्ली 110039

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 27.02.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.07.2022 को मैसर्स गणेश किराना स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रामावतार पुत्र लटूरलाल माली (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक [illegible] 2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** लकडी की रेक मे 20 नग आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक के 04 नग** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री रामावतार पुत्र लटूर लाल माली (विक्रेता एवं मालिक) को 800/– रूपये (अक्षरे आठ सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक के 04 नग** मूल पैकिट पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1500 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1500 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रामावतार पुत्र लटूरलाल माली (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अ[illegible]कारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के पत्र क्रमांक [illegible] 2022/214 दिनांक 10.08.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक [illegible]1083/PHL/kota/Act/2022/1091 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं [illegible]क अधिनियम, 2006 नियम, 2011 के तहत **असुरक्षित (अनसेफ)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः रेफलर फूड लैब मैसूर से करवायी गई जिनके जॉच सर्टिफिकेट संख्या 914F/FSSA/2022 दिनांक 23.11.2022 के अनुसार धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 19.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** अच्छी क्वालिटी का विक्रय किया जाता है जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः मेरे विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व देशी घी (प्रभाष) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** रेफलर फूड लैब मैसूर से करवायी गई जॉच सर्टिफिकेट संख्या 914F/FSSA/2022 दिनांक 23.11.2022 से **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्राथीगण को कुल जुर्माना राशि 68,000/– रूपये (अक्षरे अडसठ हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)